**बरेली पुलिस**
**प्रेस नोट दिनांक 03.09.2025**
**थाना प्रेमनगर**

**थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा विभिन्न खातों में करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन कर साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण** –

दिनांक 02.09.25 को उ0नि0 मौ0 सरताज द्वारा अन्य प्रदेशो मे पंजीकृत NCRP कम्पलेन नं0 22508250016790 थाना सिटी 1 अबोहर जिला फजीलका पंजाब , 31308250062472 थाना साइबर क्राइम जिला पलवल हरियाणा, 32903250014003 थाना धारापुरम जिला तिरूपुर तमिलनाडू का लिंक जनपद बरेली से तथा उक्त NCRP कम्पलेंस में प्रयोग किये गये बैंक के विभिन्न खातो में करोडो का ट्रांजैक्शन कर साइबर फ्रॉड के पैसो को ठिकाने लगाने, बैंक खातों व मोबाइल नम्बरों को बरेली के व्यक्तियों द्वारा प्रयोग कर अपराध किये जाने के संबंध में थाना प्रेमनगर बरेली पर मु0अ0सं0 0344/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3/340(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. मुशर्रफ पुत्र हाजी जाहिद रियाजखान नि0 रोड नं0 1 परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 37 वर्ष 2. अब्दुल रज्जाक उर्फ पिंटू पुत्र अब्दुल सलाम नि0 चौधरी तलाब थाना किला जिला बरेली उम्र 20 वर्ष 3. निशांत श्रीवास्तव पुत्र राकेश नि0 जोहरपुर थाना सीबीगंज जिला बरेली उम्र 22 वर्ष 4. शिवम गोश्वामी पुत्र बहादुर गोश्वामी नि0 चौधरी तालाब फाटक के पास थाना किला उम्र करीब 21 वर्ष, 5. हामिद पुत्र अब्दुल सलाम नि0 चौधरी तलाब थाना किला जिला बरेली 6 .मोहित पुत्र ताहिर खानं नि0 बानखाना थाना प्रेमनगर बरेली 7.जीशान पुत्र नामालूम नि0 नामालूम जिला बदायूं पंजीकृत कराया गया।

**सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही** –

थाना प्रभारी प्रेमनगर बरेली मय फोर्स व साइबर क्राइम टीम बरेली के साथ धोबी चौराहे से डीडीपुरम की तरफ जाने वाले रास्ते पर बंद पडी रेलवे लाइन के पास से चार लोग जिनका नाम 1. मुशर्रफ पुत्र हाजी जाहिद रियाजखान नि0 रोड नं0 1 परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 37 वर्ष 2. अब्दुल रज्जाक उर्फ पिंटू पुत्र अब्दुल सलाम नि0 चौधरी तालाब थाना किला जिला बरेली उम्र 20 वर्ष 3. निशांत श्रीवास्तव पुत्र राकेश नि0 जोहरपुर थाना सीबीगंज जिला बरेली उम्र 22 वर्ष 4. शिवम गोश्वामी पुत्र बहादुर गोश्वामी नि0 चौधरी तालाब फाटक के पास थाना किला उम्र करीब 21 वर्ष को दिनांक 02.09.25 को बंद पडी रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया तथा एक मोबाइल फोन INFINIX कम्पमी एन्ड्रोयड रंग काला, 850 रु0, दो बैंक में पैसे जमा की रसीद, दो सिमकार्ड, दो आधार कार्ड नं0 442839864581, दो एन्ड्रायड मोबाईल फोन क्रमशः OPPO कम्पनी रंग काला व एप्पल कम्पनी आईफोन 11 ब्लैक व 700रु0 नगद, दो आधार कार्ड जिस पर एक ही नम्बर 687736933605, नकद 650/- रु0 एक मोबाईल एन्ड्रायड रियलमी कम्पनी रंग ग्रे, दो आधार कार्ड जिन पर एक ही नम्बर 348337684077, दो अदद एन्ड्रायड फोन क्रमशः सैमसंग कम्पनी रंग नीला तथा दूसरा सैमसंग कम्पनी रंग सफेद, 500/- रु0 नगद व चार आधार कार्ड जिसमें एक का नम्बर 582958455504 नाम शिवम कुमार तथा दूसरा नम्बर 582958455540 नाम सतीश पाल तथा तीन मोटर साईकिल सीजशुदा अतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट बरामद की गई बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 0344/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3/340(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मुशर्रफ पुत्र हाजी जाहिद रियाजखान नि0 रोड नं0 1 परतापुर चौधरी थाना इज्जतनगर बरेली उम्र करीब 37 वर्ष।
2. अब्दुल रज्जाक उर्फ पिंटू पुत्र अब्दुल सलाम नि0 चौधरी तलाब थाना किला जिला बरेली उम्र 20 वर्ष ।
3. निशांत श्रीवास्तव पुत्र राकेश नि0 जोहरपुर थाना सीबीगंज जिला बरेली उम्र 22 वर्ष।
4. शिवम गोश्वामी पुत्र बहादुर गोश्वामी नि0 चौधरी तालाब फाटक के पास थाना किला उम्र करीब 21 वर्ष ।

**वांछित अभियुक्त**–

1. हामिद पुत्र अब्दुल सलीम नि0 चौधरी तलाब थाना किला जिला बरेली ।
2. मोहित पुत्र ताहिर खानं नि0 बानखाना थाना प्रेमनगर बरेली।
3. जीशान नि0 जिला बदायूं।

**पूछताछ** –

अभियुक्त मुशर्रफ उपरोक्त द्वारा पूछने पर बताया कि मैं पिथौरागढ में एल्युमिनियम का काम करता था, वहां मेरी मुलाकात फोन से कुछ लोगों से हुयी तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि तुम हमे कुछ बैंक खाते उपलब्ध कराओ, जिसमें हम तुम्हे कुछ पैसा ट्रांसफर करेगें। जिसको तुम हमारे दिए हुए बैंक खातो में उसी रकम को डाल देना, उसमें से कमीशन के तौर पर एक मोटी रकम बतौर मुनाफा तुम्हें मिलेगा। इसके लिए तुम अपने यहां 04-05 लडके तैय़ार करो क्योकि हमें तुमसे काफी संख्या में खाते चाहिए होंगे। उनके कहे अनुसार हमने मोटे मुनाफे की खातिर अपने 04-05 लडको का गैंग बनाकर उनको टारगेट देता था। मेरे गैंग के सदस्य अब्दुल, निशान्त, शिवम, मोहित, हामिद, जिशान के द्वारा मुझे कई खाते दिए जाते थे, उन खातों को मैं साइबर ठगों को व्हाटसअप के माध्यम से सम्पर्क कर उपलब्ध करता था तथा उनके द्वारा भारत के विभिन्न राज्यो में साइबर फ्रॉड करने के उपरान्त वहां से चुराई हुई रकम को अपने दिए हुए खातों मे डलवाकर फिर उनके द्वारा हमे कुछ खाते दिए जाते थे। जो भारत के अलग अलग जगह के बैंक के होते थे उन खातों में अपने दिए हुए खातों से पैसा कैश निकालकर उनके द्वारा दिए गए खातों में जमा करा देता था। इस काम के मुझे कमीशन बतौर मोटा पैसा मिलता था। जो उसी पैसो के बीच में मेरा कमीशन तय़ होता था तथा मेरे गैंग के सदस्यों को भी मैं अपने पैसों में से उनका कमीशन उनको देता था। जिसके द्वारा दिए गए खाते में पैसा आता था। उसके हिसाब से मैं उसको कमीशन दे देता था।

अभियुक्त अब्दुल द्वारा बताया गया कि मैं डेयरी पर काम करता हुँ, जिसके मुझे 07-08 हजार रुपये महीना मिल जाते है। हमें मुशर्रफ द्वारा एकाउण्ट लाने के लिए कहा जाता था तो हम गांव मोहल्लो के रिक्शे वाले , ठेले वाले , फेरी वाले लोगो को तलाशे थे। उन्हे हम बैंक ले जाकर एकाउण्ट खुलवाने के लिए 1000-2000 रुपये का लालच देकर उनसे एकाउण्ट खुलवा लेते थे तथा उनका एटीएम, पासबुक, यूपीआई और क्यूआर कोड को ले लेते थे। उस एकाउण्ट में पैसे डलवा देते थे। उसमें हमारा जोखिम कम था क्योकि तमिलनाडु, बैंगलोर आदि जगह की पुलिस यहां आती थी तो वह खाता धारक को तलाशती थी, हम लोग साफ बचकर निकल जाते थे और हम लोग खाते धारक को अपनी गलत पहचान बताते थे। जिससे पुलिस हमे कभी तलाश नहीं पाये। उक्त एकाउण्ट को हम मुशर्रफ को देते थे जिसके बाद मुशर्रफ उन एकाउण्ट में पैसो को ट्रांजैक्शन करता था, जिससे हमें कमीशन के रुप मे कुछ पैसे मिलते थे। जिससे हम अपना खर्चा चलाते थे। एक एकाउण्ट ज्यादा दिन नहीं चलता था बार बार फ्रिज हो जाता था, हमे लगातार नए एकाउण्ट चाहिए होते थे।

अभियुक्त निशान्त एवं शिवम द्वारा बताया गया कि हमें मुशर्रफ और पिन्टू द्वारा एकाउण्ट लाने के लिए कहा जाता था तो हम गांव मोहल्लो के रिक्शे वाले , ठेले वाले , फेरी वाले लोगो को तलाशे थे। उन्हे हम बैंक ले जाकर एकाउण्ट खुलवाने के लिए 1000-2000 रुपये का लालच देकर उनसे एकाउण्ट खुलवा लेते थे तथा उनका एटीएम, पासबुक, यूपीआई और क्यूआर कोड को ले लेते थे। उस एकाउण्ट में पैसे डलवा देते थे उसमे हमारा जोखिम कम था क्योकि तमिलनाडू, बैंगलोर आदि जगह की पुलिस यहां आती थी तो वह खाता धारक को तलाशती थी। हम लोग साफ बचकर निकल जाते थे और हम लोग खाते धारक को अपनी गलत पहचान बताते थे। जिससे पुलिस हमें कभी तलाश नहीं पाये। उक्त एकाउण्ट को हम मुशर्रफ को देते थे। जिसके बाद मुशर्रफ उन एकाउण्ट

मे पैसो को ट्राजैक्शन करता था। जिससे हमे कमीशन के रुप मे कुछ पैसे मिलते थे। जिससे हम अपना खर्चा चलाते थे।

**<u>बरामदगी</u>** –

1. **<u>06 मोबाइल फोन</u>** - INFINIX कम्पमी, OPPO कम्पनी, एप्पल कम्पनी आईफोन 11, एक मोबाइल एन्ड्रायड रियलमी कम्पनी, दो सैमसंग कम्पनी।
2. **<u>दो बैंक में पैसे जमा की रसीद</u>**
3. **<u>तीन सिमकार्ड</u>**
4. **<u>आठ कूटरचित आधार कार्ड</u>** - नं0 442839864581,<br>नं0687736933605,<br>नं0 348337684077,<br>नं0 582958455504
5. **<u>तीन मोटर साइकिल</u>** - UP 25 ED 4963, R15, सीज अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट ।<br>UP 25 AR 9816, स्पलैण्डर, सीज अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट ।<br>UP 25 N 5817, स्पलैण्डर, सीज अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट ।

**<u>पुलिस टीम</u>**–

1. श्री आशुतोष रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर बरेली।
2. श्री नीरज सिंह, प्रभारी साइबर थाना मय टीम ।
3. उ0नि0 मौ0 सरताज, चौकी प्रभारी कानूनगोयान ।
4. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, चौकी प्रभारी कोहाडापीर।
5. उ0नि0 श्री आशीष कुमार, चौकी प्रभारी शाहबाद ।
6. उ0नि0 श्री शुभम कुमार, थाना प्रेमनगर बरेली।
7. का0 243 अनित कुमार , थाना प्रेमनगर बरेली।
8. का0 419 नवीन कुमार , थाना प्रेमनगर बरेली।
9. का0 3720 अनुराग , थाना प्रेमनगर बरेली।
10. का0 3424 नितिन कुमार, थाना प्रेमनगर बरेली।